मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 101वीं बोर्ड बैठक दिनांक
08--09--2021 की कार्यवाही

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की 101वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08–09–2021 में अधिकारियों की **उपस्थिति :–**

1.	श्री रविनाथ रमन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री बृजेश कुमार सन्त, उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।	उपाध्यक्ष
3.	सुश्री अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4.	श्री अर्पण कुमार राजू उप सचिव, आवास विभाग	सदस्य
5.	श्री जगदीश लाल, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।	मुख्य नगर आयुक्त के नामित प्रतिनिधि
6.	श्री गिरीश चन्द्र गुणवन्त, अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0), देहरादून।	जिलाधिकारी देहरादून के नामित प्रतिनिधि
7.	श्री एस0एम0 श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड	सदस्य
8.	श्री सुभाष चन्द्र, अधीक्षण अभियंता, पेयजल निगम, देहरादून।	सदस्य

अन्य उपस्थिति

1. श्री मोहन सिंह बर्निया, सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून
2. श्री रजा अब्बास, संयुक्त सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. श्री एच0सी0एस0 राणा, अधीक्षण अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4. श्रीमती गीता खुल्वै, विशेषज्ञ समन्वयक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षमसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/आयुक्त गढ़वाल मण्डल का पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए स्वागत किया गया तथा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 100वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या को पढ़ा गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं 101वीं बोर्ड ब ैठक के एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयी:–

प्राधिकरण की 100 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12.10.2020 की अनुपालन आख्या।

सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 12–10–2020 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

विषय कमांकः–1 A) विचलन से अनुमोदित वित्तीय वर्ष 20–21 के वास्तविक आय व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय व्ययक की पुष्टि का प्रस्ताव।

अ) वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुमानित आय–वास्तविक व्यय का अनुमोदन

वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृत बजट राशि के सापेक्ष व्यय किये गये है, अतः वास्तविक व्यय के आधार पर अनुमोदन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

ब) वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्यय का अनुमानित प्रस्ताव

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्राधिकरण के आय एवं व्यय के प्रस्ताव विभिन्न अनुभागो से प्राप्त आंकडो के आधार पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

(विस्तृत प्रस्ताव संलग्न है।)

B) अवस्थापना निधि से धनराशि ऋण के रूप में लिये जाने के सम्बन्ध में।

C) अधिसूचना संख्या 707/अ–2.आ0–2021–105(आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 24.03.2021 द्वारा प्रख्यापित एक बार समाधान योजना/2021 के सम्बन्ध में। व मौजा ब्राह्मण गांव परगना पछवादून तहसील देहरादून जनपद देहरादून कृषि भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में। तथा एक बार समाधान योजना (ओ0टी0एस0)

D) प्राधिकरण की नियमित होने वाली बोर्ड बैठक के विलम्ब के दृष्टिगत मानचित्र संख्या सी–0202/20–21आरई01 कुमारी लक्ष्मी सिंह राणा एवं माचित्र संख्या सी–0133/20–21 श्री योगेन्द्र नेगी द्वारा आवेदित मानचित्रों को परिचालन के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत प्रस्ताव संलग्न है जो बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

E) भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आवेदित मानचित्र संख्या–सी–0344/20–21 प्रस्तावित बी0जे0पी0स्टेट कार्यालय के सम्बन्ध में।

F) मानचित्र संख्या–सी–0297/20–21 300 शैयया वाले अस्पताल, मौजा हर्रावाला के भूमि खसरा नम्बर 964क, 964ख, 965, 980, 981, 982ख, 979क, 982क में आवेदित मानचित्र संख्या–सी–0297/20–21 के सम्बन्ध में। उपरोक्त प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से स्वीकृत किया गया सुलभ संज्ञानार्थ प्रस्तावों की सूची संलग्न है।

उपरोक्त प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से पारित किये गये थे, जिसे बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने पर सर्व सम्मति से उक्त की पुष्टि की गयी।

विषय कमांकः–2 अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि पर भुगतान हेतु बोर्ड का अनुमोदन।

A) हरिपुरकलां में आन्दोत्सव से हरिहरधाम में सी0सी0 सडक निर्माण कार्य में अनुबन्ध राशि में हुई बढोत्तरी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

B) हरिपुरकलां में भृगु आश्रम से गली न0–05 तक सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य में अनुबन्ध राशि में हुई बढोत्तरी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

C) इन्दिरापुरम आवासीय योजना में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य में अनुबन्ध राशि में हुयी बढोत्तरी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

D) मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत लोअर नत्थनपुर में राज राजेश्वरी में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 22.03 प्रतिशत विचलन राशि की स्वीकृति के संबंध में।

E) वित्तीय वर्ष 2020–21 में देहरादून शहर के अन्तर्गत समस्त विधान सभाओं में एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट लगाये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति ली गई एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट के कार्य में अनुबन्ध राशि में हुई बढोत्तरी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि पर क्रमांक–B पर अंकित प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये व शेष भुगतान हेतु सर्व सम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय कमांकः–3 **प्राधिकरण की वर्तमान में गतिमान परियोजनाओं की प्रगति आख्या बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत।**

प्राधिकरण की वर्तमान में गतिमान परियोजनाओं की प्रगति आख्या बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत की गयी, जिसमें आलयम्, आमवाला तरला में आवासीय योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि एल0आई0जी0 भवनों का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम सम्पूर्ण आवासीय योजनाओं को फ्लोट कर लिया जाय। उक्त आवासीय योजनाओं के तहत फ्लैटों की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1–अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन,
2–मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
3–अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
4–अनु सचिव, सम्पत्ति, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
5–विधि सलाहाकार, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (पी0एम0यू0)।

उक्त गठित समिति तीन सप्ताह के अन्दर उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 को आवासीय योजनाओं के तहत निर्मित फ्लैटों के फ्लोट किये जाने तथा दरों के निर्धारणत के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। तद्नुसार शेष 10 प्रतिशत का कार्य कब्जा दिये जाने के पश्चात ही किया जाय।

विषय क्रमांकः–4 प्राधिकरण कार्यालय के उपयोगार्थ क्रय किये जाने वाले वाहन।

A) प्राधिकरण के उपयोगार्थ 01 जे0सी0बी0 (डोजर) क्रय करने के सम्बन्ध में।

जे0सी0बी0 क्रय करने के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में पूर्व से उपलब्ध जे0सी0बी0 निष्प्रयोज्य हो गया है जिसकी नीलामी की प्रक्रिया गतिमान है। इस सम्बन्ध में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पहले नियमानुसार उक्त जे0सी0बी0 को नीलाम कर दिया जाय तत्पष्चात नया जे0सी0बी0 क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

B) उद्यान अनुभाग के कार्यहित में एक बुलेरो कैम्पर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से उद्यान अनुभाग हेतु एक बोलेरो कैम्पर क्रय किये जाने हेतु सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांकः–5 आवासीय योजना आवासीय में पहले आओ पहले पाओ पद्यति के अन्तर्गत पंजीकरण राशि के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत एच0आई0जी0 आवासीय फ्लैटों में पहले आओ पहले पाओ पद्यति के अन्तर्गत नयी पंजीकरण पर एक मुश्त भुगतान पर छूट दिये जाने के सम्बन्ध में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात इस पर पुनः बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांकः–6 शासनादेश संख्या–223/V–2/2020–01(आ0)/2016 दिनांक 22–5–2020 द्वारा स्वीकृत पदों के सापेक्ष राजस्व विभाग से 02 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त 01 तहसीलदार एंव 02 लेखपाल की नियुक्ति अस्थायी रूप से नियत मानदेय पर प्राधिकरण में किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण हेतु राजस्व विभाग से दो वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त 01 तहसीलदार एवं 02 लेखपाल की प्राधिकरण में तैनाती के सम्बन्ध में सर्व सम्मति से सहमति व्यक्त की गयी व बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त तैनाती शासनादेश संख्या–41 दिनांक 12–09–2017 में वर्णित व्यवस्था के आधार पर उक्त कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांकः–7

A) मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0354 / 20–21 में प्रस्तावित लोअर टर्मिनल स्टेशन विद मल्टीलेवल पार्किंग शॉपिंग काम्पलैक्स,रेस्टोरेंट,आउटडोर, इन्टरटेनमेंट फैक्लटीज एण्ड रेजीडेंस ब्लाक फॉर स्टाफ एण्ड गैस्ट फार देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट बाई मसूरी स्काई कार कम्पनी प्रा0लि0 ,माननीय राज्यपाल उत्तराखण्ड टूरिज्म विभाग उत्तराखण्ड द्वारा श्री सैययद जुनैद अलताफ खसरा नम्बर 236ङ, 236घ,237, 242मिन मौजा पुरकुल गॉव परगना परवादून देहरादून पर लोअर टर्मिनल स्टेशननिर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

B) मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0354 / 20–21 में प्रस्तावित लोअर टर्मिनल स्टेशन विद मल्टीलेवल पार्किंग शॉपिंग काम्पलैक्स,रेस्टोरेंट,आउटडोर, इन्टरटेनमेंट फैक्लटीज एण्ड रेजीडेंस ब्लाक फॉर स्टाफ एण्ड गैस्ट फार देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट बाई मसूरी स्काई कार कम्पनी प्रा0लि0 ,माननीय राज्यपाल उत्तराखण्ड टूरिज्म विभाग उत्तराखण्ड द्वारा श्री सैय्यद जुनैद अलताफ खसरा नम्बर 236ङ, 236घ,237, 242मिन मौजा पुरकुल गांव, जिला देहरादून पर लोअर टर्मिनल स्टेशन निर्माण के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का भू–उपयोग 12.00 मीटर महायोजना मार्ग एवं औद्योगिक एवं वन के अन्तर्गत आरक्षित है। उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग, वन विभाग, प्राधिकरण, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की वन क्षेत्र के सम्बन्ध में संयुक्त स्थल निरीक्षण करा लिया जाय व तद्नुसार संयुक्त निरीक्षण की आख्या सहित भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को संस्तुति सहित प्रेषित कर दिया जाय।

विषय क्रमांकः–8

खसरा नं0 1087, 1088, 1089, 1090, 1091 मौजा पौंधा, तहसील विकास नगर देहरादून अन्तर्गत कुल रकबा 8.503 हैक्टेयर देहरादून महायोजना के जोनल प्लान अन्तर्गत वन / कृषि भू–उपयोग का त्रुटि सुधार किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, देहरादून से मौके की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय व तद्नुसार ही प्रकरण पर समस्त तथ्यों सहित आख्या शासन को प्रेषित की जाय।

विषय कमांकः—9 मानचित्र पत्रावली संख्या—एल—0003/21—22 जो कि श्री अशोक कुमार भाटिया, श्री दलीप कुमार भाटिया एवं सुरेन्द्र भाटिया पुत्रगण श्री इन्द्रलाल भाटिया, श्री बृज भाटिया पुत्र श्री अशोक कुमार भाटिया, आशा भाटिया पुत्री श्री मोहन लाल भाटिया, श्रीमती सुलोचना भाटिया पत्नि श्री रामस्वरूप भाटिया, श्री सन्नी भाटिया पुत्र श्री अशोक कुमार भाटिया एवं श्री अनुभव भाटिया पुत्र श्री लक्ष्मण स्वरूप भाटिया खसरा नम्बर—23क, 23ख, 23ड, 23ग, 23घ, 34क, 24ख, 24ब, 25क, 25ग, 26ख, 26ग व 26घ मौजा ब्राहमणवाला परगना पछवादून देहरादून में व्यवसायिक तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड द्वारा कथन किया गया कि मानचित्रों में व्यवसायिक के स्थान पर वाणिज्यिक केन्द्र परिभाषित किया जाय, चूंकि व्यवसायिक तलपट के विनियम नहीं हैं। तद्नुसार सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय कमांकः—10 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0464/20—21 "PROPOSED MALL CUM MULTIPLEX FOR PACIFIC DEVELOPMENT RETAIL PRIVATE LIMITED" THROUGH ITS AUTHORISED SIGNATURE श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री सतीश चन्द जैन खसरा नम्बर 47 मोहकमपुर खुर्द (मुख्य हरिद्वार रोड) परगना परवादून तहसील सदर देहरादून पर MALL CUM MULTIPLEX भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार—विमर्श के दौरान सचिव एम0डी0डी0ए0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण मुख्य हरिद्वार रोड, मोहकमपुर में मॉल कम मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति का है। अधीक्षण अभियंता म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण विनियमानुसार है तथा सभी मानक पूर्ण हैं। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अग्नि शमन विभाग का अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात मानचित्र स्वीकृत कर लिया जाय।

विषय कमांकः—11 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0288/20—21 श्रीमती निशा सेठी पत्नि श्री नरेश सेठी (Lessor) मैसर्स आर0एन0 हास्पिटीलीज पार्टनर श्री राघव सेठी व नताशा सेठी (Lessee) खसरा नम्बर 65/2 मि. नया खसरा नं0—170क मौजा बद्रीपुर परगना परवादून देहरादून पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार—विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि प्रश्नगत होटल निर्माण स्थल हरिद्वार रोड, जोगीवाला चौक से बद्रीपुर की ओर लगभग 1.50 कि0मी0 की दूरी पर प्रस्तावित है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति के साथ सभी वांछित अनापत्तियों के प्राप्त होने के पश्चात मानचित्र स्वीकृत कर लिया जाय।

विषय कमांकः—12 श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री तिलक राज द्वारा खसरा नम्बर—594मि0 एवं 595मि0 रकबा 1900.00 वर्ग मी0 मौजा कुंजा परगना पछवादून जिला देहरादून में हरबर्टपुर—पौंटा मार्ग पर पैट्रोल पम्प की स्वीकृति हेतु आफ लाईन मानचित्र पत्रावली सं0 सी—0358/20—21 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार—विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में नगर नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 26—03—21 द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। अतः तद्नुसार सर्व सम्मति से पेट्रोल पम्प की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय कमांकः—13 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0333/20—21 श्री राजा पुरोहित पुत्र स्व0 श्री गोपाल पुरोहित द्वारा खसरा संख्या 1263मि0 एवं 1265मि0 कुल रकबा 0.1767 हेक्टेयर मौजा बड़कोट माफी, परगना परवादून जिला देहरादून में देहरादून—ऋषिकेश मार्ग पर फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पम्प) स्थापना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण में विस्तृत तकनीकी आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जांय। चूंकि इस प्रकरण में सैटबैक, एफ0ए0आर0 आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु यदि सभी मानक पूर्ण हों तो तद्नुसार मानचित्र स्वीकृति प्रदत्त की जाय।

विषय कमांकः—14 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0035/20—21 श्री पंकज गुप्ता डायरेक्टर ऑफ रितुराज फर्मस प्रा0लि0 Behalf of Hindustan Petroleum Corp.Ltd.खसरा नम्बर 229/3, 230, 231/1 व 235 ग्राम बगराल गॉव (मसूरी देहरादून मार्ग पर) तहसील देहरादून जिला देहरादून पर CNG REFUELING RETAIL OUTLET निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में

विचार—विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट आवासीय भू—उपयोग में प्रस्तावित है, जिसमें पेट्रोल पम्प स्थापना की अनुमन्यता बोर्ड द्वारा अनुमन्य है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत पेट्रोल पम्प आवासीय भू—उपयोग में प्रस्तावित होने के दृष्टिगत यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नियोजन की दृष्टि से यह उचित है। तद्नुसार उक्त शर्त के साथ मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांकः—15 मानचित्र पत्रावली संख्या—ओसी—0642 / 19—20 श्रीमती रक्षा देवी पत्नि स्व0 श्री सुमेर चन्द ,श्री मनोज कुमार पुत्र स्व0 श्री सुमेर चन्द व श्री रवि कुमार पुत्र स्व0श्री सुमेर चन्द खसरा नम्बर—1585 स्थित मौजा देहराखास परगना पछवादून देहरादून पर पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार—विमर्श के दौरान खसरा नम्बर—1585 स्थित मौजा देहराखास परगना पछवादून देहरादून में वैडिंग प्वाइंट निर्माण की मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांकः—16 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0189 / 20—21 श्री राजीव कुमार गुप्ता व श्री मनोज कुमार गुप्ता खसरा नम्बर 986 / 1 व 986 / 2 ग्राम बल्लुपुर (गढी कैनाल रोड पर) तहसील गढी देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रश्नगत पेट्रोल पम्प आवासीय भू—उपयोग में प्रस्तावित है, जिसमें पेट्रोल पम्प स्थापना की अनुमन्यता बोर्ड द्वारा अनुमन्य है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत पेट्रोल पम्प आवासीय भू—उपयोग में प्रस्तावित होने के दृष्टिगत यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नियोजन की दृष्टि से यह उचित है। तद्नुसार उक्त शर्त के साथ मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांकः—17 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0178 / 20—21 श्री अनिल सैनी पुत्र डी0एन0 सैनी द्वारा खसरा संख्या 358ङ कुल क्षेत्रफल 1740 वर्गमी0(विक्रय पत्र), 1551.94 वर्गमी0 (स्थलानुसार), ग्राम कोल्हूपानी, तहसील विकास नगर, परगना पछवा दून जिला देहरादून में प्रस्तावित छात्रावास भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से खसरा संख्या 358ङ, ग्राम कोल्हूपानी, तहसील विकास नगर, परगना पछवा दून जिला देहरादून में प्रस्तावित छात्रावास भवन की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांकः—18 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0372/20—21 श्री निखिल तोमर पुत्र श्री अशोक कुमार द्वारा खसरा संख्या 132मि0 कुल रकबा 0.0608 हेक्टेयर मौजा डैशवाला, परगना परवादून जिला देहरादून में डोईवाला—केशवपुरी मार्ग पर फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पम्प) स्थापना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रश्नगत पेट्रोल पम्प आवासीय भू—उपयोग में प्रस्तावित है, जिसमें पेट्रोल पम्प स्थापना की अनुमन्यता बोर्ड द्वारा अनुमन्य है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत पेट्रोल पम्प आवासीय भू—उपयोग में प्रस्तावित होने के दृष्टिगत सभी वांछित अनापत्तियां प्राप्त करते हुये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि नियोजन की दृष्टि से यह उचित है। तद्नुसार उक्त शर्त के साथ मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांकः—19 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0444/20—21 श्रीमती कृष्णा भटेजा पत्नि श्री प्रदीप भटेजा, श्री देव कुमार चचरा पुत्र श्री केवल कृष्ण, श्री मदन लाल विरमानी एण्ड सन्स (HUF) थ्रो कर्ता श्री मदन लाल पत्र श्री आशा नन्द खसरा नम्बर 120, 121 मौजा माजरा परगना सैन्ट्रल दून देहरादून पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांकः—20 मानचित्र पत्रावली संख्या—एससी—0052/20—21 श्रीमती मोनिका जैन पत्नि श्री अर्जुन जैन व श्री अर्जुन जैन पुत्र श्री नेमचन्द जैन सम्पत्ति संख्या—55(पुराना सम्पत्ति संख्या—26/2) स्थित तिलक रोड देहरादून कामर्शियल (VANIJYA KENDRA) बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण मानक के अनुरूप है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में दो सप्ताह के अन्तर्गत रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाय व तद्नुसार आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांकः—21 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0436/20—21 श्री जसविन्दर सिंह, श्री गुरमेल सिंह पुत्रगण स्व0 सरदार चतर सिंह एवं श्रीमती प्रकाष कौर पत्नि स्व0 सरदार चतर सिंह खसरा नम्बर 2399 ग्राम ढकरानी तहसील विकास नगर देहरादून पर गैस्ट हाउस निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नियोजन की दृष्टि से यह उचित है तथा अग्नि शमन विभाग व अन्य वांछित अनापत्तियां प्राप्त किये जाने के पश्चात मानचित्र स्वीकृति प्रदत्त की जाय।

विषय कमांकः—22

श्री चन्द्र सिंह गुसांई पुत्र श्री भोपाल सिंह गुसांई द्वारा खसरा नम्बर—2532 मौजा एटनबाग तहसील विकासनगर जिला देहरादून में प्रस्तुत रिटेल शोरूम भवन मानचित्र संख्या सी—2438 / 2019—20 / आरई—1 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रकरण का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय कमांकः—23

मानचित्र पत्रावली संख्या सी0—0014 / 20—21आर ई1 / आर ई1 श्री दीपक सोंधी पुत्र श्री सुभाष सोंधी एंव श्रीमती आशा रानी पत्नी श्री सुभाष सोंधी द्वारा उग्रसैन नगर,मौजा ऋषिकेश जिला देहरादून के तहत नगर पालिका सम्पत्ति संख्या—82 / 2 खसरा नम्बर—279 / 9 भूखण्ड क्षेत्रफल 402.29 वर्गमी0 में प्रस्तावित व्यवसायिक भवन निर्माण मानचित्र (स्टिल्ड / प्रथम / द्वितीय / तृतीय तल) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रकरण का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय कमांकः—24

मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0296 / 20—21 श्री राकेश चन्द बहुगुणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बहुगुणा & lessor श्री जगदीश प्रसाद बहुगुणा पुत्र केदार दत्त बहुगुणा खसरा नम्बर 1649क व 1649ख चक तुनवाला परगना परवादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि पेट्रोल पम्प हेतु सड़क की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है, अतः स्थल निरीक्षण कर विस्तृत आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाय।

विषय कमांकः—25

श्री जगदीश प्रसाद द्वारा आवेदित खसरा नं0 515ख, 517क, 515ग, 516ख, 519मिन कुल रकबा 0.2302 है0 मौजा नत्थनपुर देहरादून में गेस्ट हाउस के मानचित्र में पहुॅच मार्ग की शिथिलता के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण मार्ग में शिथिलता प्रदत्त किये जाने विषयक है, अतः शासनादेश संख्या 1311 / V—2 / 21—10(आ0) / 2020 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार मार्ग में शिथिलता हेतु प्रकरण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सन्दर्भित किया जाय।

विषय कमांकः—26 मानचित्र पत्रावली संख्या—सीसी—0035/20—21 श्री सन्दीप जैन पुत्र श्री कृष्ण लाल जैन खसरा नम्बर 607 मि व 609 मि0 ग्राम धर्मपुर देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रश्नगत पेट्रोल पम्प आवासीय भू—उपयोग में प्रस्तावित है, जिसमें पेट्रोल पम्प स्थापना की अनुमन्यता बोर्ड द्वारा अनुमन्य है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत पेट्रोल पम्प आवासीय भू—उपयोग में प्रस्तावित होने के दृष्टिगत यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नियोजन की दृष्टि से प्रस्ताव उचित है व अग्नि शमन तथा अन्य वांछित अनापत्तियों के प्राप्त होने के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय कमांकः—27 मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून के पत्रांक 1578/उसूआ/2020—21 दिनांक 23.2.2021 अपील संख्या A(D)-31875/ 2020 पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 के बिन्दु 10 के कम में मानवीय दृष्टिकोण से ट्रान्सपोर्ट नगर फेस—2 में श्री बेताल सिहं नेगी के पक्ष से निरस्त भूखण्ड के आवंटन बहाल किये जाने एवं आसान किश्तों में अवशेष धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण के सम्बन्ध में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत भूखण्ड का वर्तमान प्रचलित दरों के आधार पर मूल्यांकन किया जाय तथा समस्त नियम/शर्तें पूर्ण होने की दशा में आवेदक को ऑफर किये जाने की कार्यवाही जाय।

विषय कमांकः—28 मालसी रेंन्ज के कॉवली कक्ष संख्या—1 में 20 हेक्टीयर वन भूमि पर नगर वन बनाये जाने के सन्दर्भ में उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/अन्य संस्था से वित्तीय पौषण हेतु रू0 383.00 लाख की धनराशि खर्च किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त प्रकरण को बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निरस्त किया गया।

विषय कमांकः—29 श्री कमल रजवार, अध्यक्ष, कुर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद,देहरादून के शमन शुल्क माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।

श्री कमल रजवार, अध्यक्ष, कुर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद, देहरादून के शमन शुल्क माफ किये जाने सम्बन्धी प्रकरण बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय कमांकः—30 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0102/21—22 श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नि श्री सुशील अग्रवाल Lessee श्री सोमी अग्रवाल पुत्र श्री सुशील अग्रवाल द्वारा खसरा नम्बर 1607ग मौजा शाहपुर कल्याणपुर तहसील विकास नगर परगना पछवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के दौरान अधीक्षण अभियंता, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत पेट्रोल पम्प मौजा शाहपुर कल्याणपुर में मुख्य शिमला बाईपास मार्ग पर प्रस्तावित है, जिसकी विद्यमान चौड़ाई 24.00 मीटर है तथा 17.00 चौड़ा मैटल्ड सड़क है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण मार्ग में शिथिलता प्रदत्त किये जाने विषयक है, अतः शासनादेश संख्या 1311/V—2/21—10(आ0)/2020 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करते हुये मानचित्र स्वीकृति का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय कमांकः—31 श्री गौरव इस्सर, पुत्र श्री श्याम सुन्दर इस्सर, निवासी 4ए/12, तिलक नगर, नई दिल्ली, द्वारा छसखेत, मिश्रासपट्टी, जिला देहरादून में स्थित भू—खण्ड क्षेत्रफल 9750.35 वर्गमीटर खसरा नं0— 2516, 2521, 2522,2523 का 2531, 2513, 2541, 2503, 2506, 2507,2508, 2510, 2511, 2512, 2524, का कृषि से पर्यटन में भू—उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण मसूरी क्षेत्र का है तथा वर्तमान में इसकी महायोजना निर्मित नहीं है। प्रकरण भू—उपयोग परिवर्तन विषयक न होकर भू—उच्चीकरण का है। अतः निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, देहरादून से उक्त क्षेत्र की स्थलीय आख्या प्राप्त कर ली जाय व तदोपरान्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।

विषय कमांकः—32 एच0आई0जी0/एम0आई0जी0/एल0आई0 फ्लैटों के पंजीकरण शुल्क में शिथिलीकरण हेतु।

एच0आई0जी0/एम0आई0जी0/एल0आई0 फ्लैटों के पंजीकरण शुल्क में शिथिलीकरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि विषय क्रमांक—3 पर गठित समिति की आख्या के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय कमांकः—33 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0342/20—21आरई—1 व वाद पत्रावली संख्या—सी—0323/एस—3/2021 श्रीमती मधु काम्बोज पत्नि श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज द्वारा खसरा नम्बर 1081क मि. ग्राम मौथरोवाला (मौथरोवाला दूधली रोड पर) परगना पछवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण मार्ग में शिथिलता प्रदत्त किये जाने विषयक है, अतः शासनादेश संख्या 1311/V–2/21–10(आ0)/2020 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार मार्ग में शिथिलता हेतु प्रकरण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सन्दर्भित किया जाय।

विषय क्रमांकः–34 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के मानकों में शिथिलीकरण, भू–उपयोग परिवर्तन के अधिकारों के प्रतिनिधायन एवं संशोधित भू–उप विभाजन शुल्क लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण अधिनिरिम की धारा–13.2 में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का अधिकार शासन में निहित है, जबकि शासनादेश संख्या 1311/V–2/21–10 (आ0)/2020 दिनांक 26–07–2021 में भू–उपयोग परिवर्तन के अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा शासन को सूचित किया गया है। विचार–विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत शासनादेश को अंगीकार कर लिया जाय तथा शासन से तत्सम्बन्धी कोई दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं तो तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांकः–35 श्री संजय कुमार सैनी द्वारा खसरा नम्बर–662, मौजा धर्मावाला (मुख्य शिमला बाईपास मार्ग पर) परगना पछवादून देहरादून पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण मार्ग में शिथिलता प्रदत्त किये जाने विषयक है, अतः शासनादेश संख्या 1311/V–2/21–10(आ0)/2020 दिनांक 26–07–21 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करते हुये बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांकः–36 मानचित्र पत्रावली संख्या MAP/P/C/ 0510/ 21-22 श्री साहिल लामा पुत्र स्व0 श्री पृथ्वी बहादुर लामा खसरा नम्बर–913/1 मौजा रायपुर परगना परगना परवादून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट के निर्माण की स्वीकृति के स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण मार्ग में शिथिलता प्रदत्त किये जाने विषयक है, अतः शासनादेश संख्या 1311/V–2/21–10(आ0)/2020 दिनांक 26–07–2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करते हुये बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांकः—37 मानचित्र पत्रावली संख्या सी0सी0—0187/20—21 श्री आदेश कुमार चन्देल, खसरा न0 330, मौजा केदारपुर, परगना पछवादून, जिला देहरादून में किये गये व्यवसायिक भवन (रेस्टोरेंट) की प्रशमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार—विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से व्यवसायिक भवन (रेस्टोरेंट) की प्रशमन स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय कमांकः—38 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0066/21—22 श्रीमती किरन भट्ट पत्नि श्री सुदेश भट्ट द्वारा नया खसरा नम्बर 876 पुराना खसरा नम्बर 895 ग्राम चक तुनवाला (तुनवाला शमशेर गढ रोड पर) देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि पेट्रोल पम्प हेतु सड़क की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है, अतः स्थल निरीक्षण कर विस्तृत आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाय।

विषय कमांकः—39 श्री मानव चौहान पुत्र श्री योगेश कुमार, द्वारा मानचित्र संख्या ओ0सी0—0252/21—22, खसरा नम्बर—1070 तथा खसरा नम्बर—1069 क, ग्राम गल्जवाड़ी, परगाना पछवादून, देहरादून में आवेदित इको रिजोर्ट, के भवन मानचित्र के शमन के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड से आख्या प्राप्त करते हुये स्थल पर मौजूद वृक्षों के पातन न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र तथा इको रिजोर्ट की परिभाषा के अनुरूप प्रकरण का निस्तारण किया जाय।

विषय कमांकः—40 आवेदक श्री विमल देव सेमवाल द्वारा ग्राम केदारपुर में व्यवसायिक भवन मानचित्र के लिए मार्ग में शिथिलीकरण के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण मार्ग में शिथिलता प्रदत्त किये जाने विषयक है, अतः शासनादेश संख्या 1311/V—2/21—10(आ0)/2020 दिनांक 26—07—2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करते हुये बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांकः–41 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0081/21–22 श्रीमती वीर बाला पत्नि श्री रामपाल सिंह खसरा नम्बर 457क व 458 ग्राम जाटोवाला तहसील विकास नगर देहरादून पर पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण मार्ग में शिथिलता प्रदत्त किये जाने विषयक है, अतः शासनादेश संख्या 1311/V–2/21–10(आ0)/2020 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार मार्ग में शिथिलता हेतु प्रकरण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सन्दर्भित किया जाय।

विषय कमांकः–42 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0154/21–22 श्री अकान्त गुप्ता पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता वाड खसरा नम्बर–6163, 6164, 6165 विकास नगर देहरादून में पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार–विमर्श के उपरान्त खसरा नम्बर–6163, 6164, 6165 विकास नगर देहरादून में पेट्रोल पम्प निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय कमांकः–43 श्री जगदीश पाण्डे, पिताम्बरपुर आर्केडिया ग्रान्ड, प्रेमनगर, देहरादून के भूखण्ड खसरा न0 1683 मि रकबा 0.5470 है0 मौजा आर्केडिया ग्रान्ट को कृषि योग्य भूमि से अकृषि करने के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या 1311/V–2/21–10(आ0)/2020 दिनांक 26–07–2021 में वर्णित व्यवस्था के आधार पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड से प्रकरण की जांच कराते हुये उनकी संस्तुति/आख्या सहित प्रकरण को आगामी बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये

विषय कमांकः–44 श्री शुभ गुप्ता पुत्र मनोज कुमार गुप्ता द्वारा खसरा नम्बर–5244मि0 एवं 5245मि0 कुल रकबा 0.0998 हैक्टे0 मौजा बाबूगढ़ परगना पछवादून जिला देहरादून में व्यावसायिक भवन (रिटेल शोरूम) भवन मानचित्र संख्या सी–0129/20–21 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय कमांकः—45 शमनित मानचित्र पत्रावली संख्या—एससी—0069/20—21 श्री सुनील कुमार गोयल पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल खसरा नम्बर 745/1मि. मौजा माजरा (मुख्य सहारनपुर रोड) परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर व्यवसायिक बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार—विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय कमांकः—46 शमनित मानचित्र पत्रावली संख्या—सीसी—0210/20—21 श्री अरविन्द वालिया पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र कुमार श्रीमती मधुर वालिया पत्नि श्री अरविन्द वालिया व श्रीमती वेद आहलूवालिया पत्नि स्व0 श्री महेन्द्र कुमार खसरा नम्बर 499,499 मौजा सेवलांकला (मुख्य जी0एम0एस0रोड) परगना पछवादून देहरादून पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार—विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय कमांकः—47 मानचित्र पत्रावली संख्या—सी—0460/20—21 श्री राजीव अग्रवाल व श्री संजीव अग्रवाल पुत्रगण स्व0 श्री सी0एम0 अग्रवाल व श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल पत्नि स्व0 श्री सी0एम0 अग्रवाल खसरा नम्बर 183 मौजा कुल्हान करनपुर (मुख्य सहस्त्रधारा रोड) परगना परवादून देहरादून पर व्यवसायिक बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार—विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

बैठक में विचार—विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि ओ0टी0एस0 योजना का शासनादेश माह मार्च, 2021 को निर्गत हुआ था, किन्तु कोविड—19 के कारण प्राधिकरण में यह योजना माह जून, 2021 से प्रारम्भ की जा सकी। अधीक्षण अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना के अन्तर्गत निरंतर आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ओ0टी0एस0 योजना की अवधि मार्च, 2022 तक बढ़ाने हेतु शासन से अनुरोध किया जाय तथा योजना का जनसाधारण हेतु व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाय। अन्त में अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा सभी मा0 सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(बृजेश कुमार सन्त) उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।	16/09/2021 (रविनाथ रमन) अध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।